



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. 1247 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1247

विषय / Sub: कैट्रिज फ्रैजिबल पिल्लर (सी एफ पी) सं.2 एमके2
Cartridge Frangible Pillar (CFP) No.2 Mk2

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स आर्ममेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (ए आर डी ई), डी आर डी ओ, पाषाण, पुणे - 411 021 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "कैट्रिज फ्रैजिबल पिल्लर (सी एफ पी) सं. 2 एमके 2", को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए -1247, दिनांक 24 फरवरी 2007 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1247 जारी किया गया था। तदुपरांत इस वर्ग अनुमोदन का संदर्भ सं. 07 दिसंबर 2012 द्वारा अनुशेष सहित नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक थी।

This is to state that the "Cartridge Frangible Pillar (CFP) No. 2 Mk2", designed, developed and manufactured by M/s Armament Research & Development Establishment (ARDE), DRDO, Pashan, Pune - 411 021, was issued with Type Approval No.: 1247 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA - 1247, dated: 24th February 2007. This Type Approval was subsequently issued with Addendum cum Renewal vide Ref. No.: 07th December 2012 with validity up to 31st December 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (एए), सेमिलैक, डी आर डी ओ, पाषाण, पुणे - 411 021 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (AA), CEMILAC, DRDO, Pashan, Pune - 411 021, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए -1247, दिनांक 07 दिसंबर 2017 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद (05) पाँच में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para (05) five of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA -1247, dated: 07th December 2017 is amended as stated herewith.

“[अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक / CEMILAC / 5070 / टी.ए / TA -1247/2R

दिनांक / Date: 07 January 2019

फैक्स सं. / Fax No.: 080 - 2523 0856

 



पी . जयपाल / P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)